न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : **श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S**

राजस्व वाद संख्या : **34/21 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS NO. :- 2021/829

अनवान

1. श्री नंदलाल पिता मोहन जी अहीर निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्री भगवतीलाल पिता मोहन जी अहीर निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
3. श्री पृथ्वीराज पिता मोहन जी अहीर निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
4. श्री रता पिता नवला जी अहीर निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

............प्रार्थी

बनाम्

1. श्री गोविन्द पिता नाथू जी ड़ांगी निवासी बासडा का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्री रूपलाल पिता नाथू डांगी निवासी बासडा का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुरा राज0।
3. श्रीमती रोडी बाई पुत्री नाथू डांगी निवासी पदमा का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुरा राज0।
4. श्रीमती टमुबाई पुत्री नाथू डांगी निवासी पदमा का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुरा राज0।
5. श्रीमती गोरीबाई पत्नी स्व. नाथूलाल डांगी निवासी बासडा का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुरा राज0।
6. श्री मांगीलाल पिता परथा डांगी निवासी बासडा का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुरा राज0।
7. श्री कैलाश पिता परथा डांगी निवासी बासडा का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुरा राज0।
8. श्रीमती हगामीबाई पत्नी स्व. परथा डांगी निवासी बासडा का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुरा राज0।
9. श्री रमेश पिता कमला डांगी निवासी बासडा का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुरा राज0।
10. श्रीमती हीराबाई पुत्री कमला डांगी निवासी बासडा का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुरा राज0।
11. श्रीमती लेहरीबाई पुत्री कमला डांगी निवासी बासडा का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुरा राज0।
12. श्रीमती कमलाबाई पत्नी कमला डांगी निवासी बासडा का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुरा राज0।
13. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.........विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:24 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री नारायणलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक 27.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नीमडी पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर की खसरा संख्या 3 क्षेत्रफल 4 बिस्वा स्थित है विपक्षीगण की भूमि मौजा बासडा पटवार हल्का बासडा तहसील भीण्डर में आराजी नम्बर 1796 क्षेत्रफल 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 1800 क्षेत्रफल 13 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1801 क्षेत्रफल 5 बिस्वा स्थित है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि ग्राम नीमडी व ग्राम बासडा की सीमा पर स्थित है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि में दखलअंदाजी करने से प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।
2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 13 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 से 12 द्वारा जवाब पेश नहीं किया। अतः विपक्षी संख्या 1 से 12 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 13 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थीगण के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात में पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढ़ी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:24 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नीमडी पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर में जमाबंदी संवत् 2051—54 खसरा संख्या 3 क्षेत्रफल 4 बिस्वा भूमि के चारो दिशाओ की

उपखण्ड अधिकारी, भी

सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। अगर भू–प्रबंधन के बाद जमाबंदी/खसरा नम्बर या मौके की तरमीम में कोई परिवर्तन हो तो तहसीलदार खाता शुद्धि के बाद पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि भू–प्रबंधन के बाद बने नये खसरा नम्बरान के आधार पर सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:24 IST
Reason: SelfAttested